

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड-4

PART III— SECTION 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2016/श्रावण 25, 1938 No. 323] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2016/SRAVANA 25, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2016

फा. सं. एफ1-61/एफएसएसएआई/टीआर.बिजनेस/आरईजी/2015.— भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारुप, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा. सं. 1-61/एफएसएसएआई/टीआर.बिजनेस/आरईजी/2015 तारीख 1 अप्रैल, 2016, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ, जनता को 12 अप्रैल, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप विनियम की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

4032 GI/2016 (1)

विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) संशोधन विनियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (बैठकों में कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2010 में,--
 - (क) विनियम 1 के उप विनियम (1) में "2010" अंकों के स्थान पर "2011" अंक रखें; और
 - (ख) विनियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात :--

"16. व्ययों की प्रतिपूर्ति:-- खाद्य प्राधिकरण के सदस्य, पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक दिन के लिए चार हज़ार रुपए की बैठक फीस या उसके भाग का संदाय करेगा और वास्तविक यात्रा तथा निर्वाह व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा।"

> [विज्ञापन.-III/4/असा./208(187)] पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा.1-61/एफएसएसए/2009-डीएफक्यूसी, तारीख 4 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2016

F. No. F1-61/FSSAI/Tr. Business/Reg/2015.—Whereas the draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. 1-61/FSSAI/Tr. Business/Reg/2015 dated the 1st April, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 12th April, 2016;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public in respect of the said draft regulations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 92 read with sub-section (1) of section 17 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010, namely:-

REGULATIONS

- 1. **Short title and commencement.** (1) These regulations may be called "The Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its Meetings) Amendment Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its meetings) Regulations, 2010,-
 - (a) in regulation 1, in sub-regulation (1), for the figure "2010" the figure "2011" shall be substituted; and
 - (b) for regulation 16, the following shall be substituted, namely: -
 - "16. Reimbursement of expenses.— The Members of the Food Authority, other than *ex-officio* members, shall be paid a sitting fee of rupees four thousand for each day or part thereof for attending each meeting and the reimbursement of actual travel and subsistence expenses."

[ADVT.-III/Exty./208(187)] PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principle regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. 1-61/FSSA/2009-DFQC, dated 4.3.2011.